अधिसूचना

नई दिल्ली,13 अगस्त, 2020

आय-कर

का.आ. 2746 (अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में,--

(1) प्रारंभिक भाग में "ई-निर्धारण" शब्द के स्थान पर "चेहरा विहीन निर्धारण" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'1. इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (7क), धारा 92गक, धारा 120, धारा 124, धारा 127, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 133क, धारा 133ग, धारा 134, अध्याय 14 और अध्याय 21 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उक्त स्कीम के अनुसरण में किए गए निर्धारण को लागू होंगे, अर्थात् :--

"**क**. (1) निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती पर धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण के लिए उसके चयन के मुद्दों को विनिर्दिष्ट करते हुए, सूचना की तामील करेगा ;

(ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल करेगा ;

(iii) जहां निर्धारिती ने--

(क) धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय की विवरणी प्रस्तुत की है ; और यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय-कर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ; या

(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है ;

राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती को संसूचित करेगा कि इस योजना के तहत उसकी दशा में निर्धारण पूरा किया जाएगा ;

(iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र इस योजना के तहत निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, चयनित मामले को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा ;

(v) जहां मामला, निर्धारण यूनिट को समनुदेशित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण यूनिट निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अनुरोध कर सकेगा,--

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना, जो यह विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापना करना ; और

(ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ;

(vi) जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचनाप या अध्यपेक्षा जारी करेगा ;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना का प्रत्युत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(viii) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र की सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;

(ix) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा तकनकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र सत्यापना यूनिट या तकनीकी यूनिट से खंड (viii) या खंड (ix) में निर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर, प्राप्त रिपोर्ट को संबंधित निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xi) जहां निर्धारिती खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र ऐसे निर्धारिती पर धारा 144 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक उपदर्शित करने का अवसर देते हुए सूचना की तामील करेगा कि उसकी दशा में क्यों न निर्धारण उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ;

(xii) निर्धारिती खंड (xi) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को इस संबंध में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ;

(xiii) जहां निर्धारिती खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना का विनिर्दिष्ट समय या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र ऐसी असफलता की निर्धारण यूनिट को संसूचना देगा ;

(xiv) निर्धारण यूनिट अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को गणना में लेते हुए एक लिखित प्रारूप निर्धारण आदेश देगी या ऐसी दशा में जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट संसूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से प्राप्त होती है, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार या तो आय या उसके द्वारा संदेय राशि या उसको प्रतिदेय राशि को विवरणी के अनुसार स्वीकार करते हुए या ऐसी आय या राशि को उपांतरित करते हुए एक लिखित प्रारूप आदेश देगी और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xv) निर्धारण यूनिट प्रारूप निर्धारण आदेश करते हुए शास्ति कार्यवाहियों, जो उसके द्वारा आरंभ किए जाएंगे, यदि कोई हों, के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी ;

(xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश की जांच करेगा, जिसके अंतर्गत एक स्वचालित जांच टूल सम्मिलित है, तदनुपरांत वह,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देने का विनिश्चय करेगा और ऐसे आदेश तथा सूचना की एक प्रति की शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए मांग सूचना सहित, जिसमें संदेय राशि, या निर्धारिती को ऐसे निर्धारण के आधार पर शोध्य प्रतिदेय किसी रकम का प्रतिदाय करने के लिए सूचना देगा ; या

(ख) किसी उपांतरण का प्रस्ताव करने की दशा में निर्धारिती को उससे यह हेतुक उपदर्शित करने के लिए कि क्यों न प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को पूरा नहीं किया जाना चाहिए, के लिए एक अवसर प्रदान करेगा ; या

(ग) किसी एक प्रादेशिक ई-निर्धारण केंद्र में किसी पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप निर्धारण आदेश को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए समनुदेशित करेगा ;

(xvii) पुनर्विलोकन यूनिट उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन संचालित करेगी तदनुपरांत वह,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने का विनिश्चय करेगी और ऐसी सहमति की राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को संसूचित करेगी ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश पर ऐसे उपांतरण का सुझाव देगी, जो वह उचित समझे और सुझावों को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र भेजने का विनिश्चय करेगी ;

(xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त होने पर, यथास्थिति, खंड (xvi) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों का सुझाव प्राप्त होने पर मामले को उस निर्धारण यूनिट , जिसने प्रारूप निर्धारण आदेश किया था, से भिन्न किसी अन्य निर्धारण यूनिट को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से समनुदेशित करेगा ;

(xx) निर्धारण यूनिट पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाए गए उपातंरणों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर खंड (xvi) के, यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xxii) निर्धारिती उस दशा में, जहां हेतुक उपदर्शित करने की सूचना की उस पर खंड (xvi) के उपखंड (ख) के अधीन तामील की गई है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ;

(xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र,--

(क) उस दशा में, जहां हेतुक उपदर्शित करने की सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, खंड (xvi) के उपखंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देगा ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, निर्धारिती से प्राप्त प्रत्युत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xxiv) निर्धारण यूनिट , निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को गणना में लेते हुए पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर,--

(क) निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव नहीं किया गया है, खंड (xvi) के उपखंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती के हित में प्रारूप निर्धारण आदेश को निर्दिष्ट करते हुए किसी प्रतिकूल उपांतरण का प्रस्ताव किया गया है, निर्धारिती को खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारिती को अवसर प्रदान किया जाएगा ; या

(ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से खंड (xxii), खंड (xxiii) और खंड (xxiv) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यौहार करेगा ;

(xxvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण पूरा होने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए अंतरित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो ;

(2) उप पैरा-(1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक राष्ट्रीय ई- का भार साधननिर्धारण केन्द्र, यदि आवश्यक हो, निर्धारण के किसी भी स्तर पर, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकता है ।

(ख) (1) किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में या स्कीम के अधीन सृजित किसी यूनिट में स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आय-कर प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) किसी मामले में जहां प्रारूप निर्धारण आदेश में उपांतरण प्रस्तावित है और निर्धारिती को, उस पर सूचना की तामील करके एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वह कारण दर्शित करे कि ऐसे प्ररूप आदेश

के अनुसार निर्धारण क्यों पूर्ण नहीं किया जाना चाहिए । निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसा भी मामला हो, इस योजना के अधीन किसी इकाई में आय-कर प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई जिसमें अपना मौखिक निवेदन के लिए या अपने मामले को प्रस्तुत करने की प्रर्थाना कर सकेंगे ।

(3) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भार साधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भार साधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जैसा भी मामला हो, जिसके अधीन संबधित ईकाई स्थापित है उप पैरा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रर्थाना का अनुमोदन कर सकता है यदि उसकी राय है कि प्रर्थाना उक्त योजना के पैरा 12 के खंड (vib) में निर्दिष्ट परिस्थितियों द्वारा आच्छादित है ।

(3A) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रर्थाना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के भार साधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के भार साधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित की गई है जैसा भी मामला हो ऐसी सुनवाई विशिष्ट रूप से विडियो कानफोन सिंग के माध्यम से संचालित की जाऐगी जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार एपलिकेशन्स साफट्वेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोन को सपोर्ट करता है ।

(3B) उक्त योजना के पैरा 8 के उप-पैरा (2) के अधीन, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के कथन की परीक्षा या अभिलेख (अधिनियम की धारा 133क के अधीन पाठ्य सर्वेक्षण अभिलिखित कथन से भिन्न) स्कीम के अधीन किसी यूनिट में आय-कर प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से विडियों कानफ्रेंनसिंग में माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी दूस संचार एपलिकेशन्स साफट्वेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करना है ।

(4) बोर्ड, विडीयों कान्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत दूर संचार एपलिकेशन सॉफ्टवेयर भी है जो ऐसे स्थानों पर हों, जहां आवश्यक हो और विडियों टैलीफोनी अनुकूल हों, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या उपपैरा (2) या उपपैरा (5) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को स्कीम के फायदे से मात्र इस कारण से वंचित न किया जाए कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच विडीयों कान्फ्रेंसिंग तक नहीं है । "

(3) खंड 2 में -

(i) "किये गये निर्धारण से उद्भूत" शब्दों के पश्चात् "और आरोपित शास्ति" शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे ।

(ii) कोट के भीतर "निर्धारण के विरुद्ध अपील" शब्दों के पश्चात् "आदेश या शास्ति आदेश" शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे ।

(4) खंड 3 में, कोट के भीतर खंड 3 में, "अधिनियम" से आरंभ होने वाले और "या इलेक्ट्रानिक अधिप्रमाण तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"कोई इलेट्रोनिक अभिलेख निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा --:

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा अपने अंकीय हस्ताक्षर करके और;

(ii) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने अंकीय हस्ताक्षर करके यदि वह अंकीय हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय की विवरणी का दिया जाना और उसके अंकीय हस्ताक्षर करने द्वारा या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन अन्य मामले में नियमों के अधीन अपेक्षित है

स्पष्टीकरण--इस पैरा के उद्देश्य के लिए "इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ हो जो उसका नियमों के नियम 12 में निर्दिष्ट है"

(5) खंड 4 में उधरण के अंदर वह भाग जो ' राष्ट्रीय ई- मूल्यांकन केन्द्र शास्ती अधिरोपित करेंगा' से शुरू हो रहा है तथा ' जैसे यह मामला हो सके निम्नवत लागू होगे

"राष्ट्रीय ई- मूल्यांकन केन्द्र शास्ती के उक्त प्रारूप आदेश के अनुसार शास्ती लगाएगा तथा यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मांग नोटिस के साथ इसकी एक प्रति तामील करेगा और तत्पश्चात् अधिनियम के अधीन तथा अपेक्षित उक्त मामले पर अधिकारिकता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को शास्ती कार्यवाहियो में ईलेक्ट्रानिक अभिलेख अंतरित करेगा। "

(6) खंड 5 में, मद ख के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायेगा अर्थात् --:

"(**ख**) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक स्कीम के अधीन गठित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, आरईएसी और विभिन्न यूनिटों को आटोमेटिड और मैकेनाइज़ड वातावरण में, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में फार्मेट, मोड, प्रक्रिया और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करना भी हे, प्रभावी कार्यकरण के लिए समय-समय पर मानक, प्रक्रियाएं और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करेगा: --

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;

(ii) नोटिस या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;

(iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;

(iv) "ई-प्रोसीर्डिंग" सुविधा के उपबंध जिसके अंतर्गत लॉगलाइन अकाउंट सुविधा, निर्धारण की स्थिति पता लगाना, सुसंगत ब्यौरों को दर्शित करना और डाउनलोड की सुविधान भी है;

(v) सूचना और उत्तर का मूल्याकंन, अधिप्रमाणन और सत्यापन जिसके अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज भी हैं;

(vi) केन्द्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुन:प्राप्ति;

(via) परिस्थितियां जिसमें पैरा 8 के उपपैरा (1) के उपबंध लागू नहीं होते है ।

(vib) परिस्थितियां जिनमें उक्त योजना के पैरा (11) के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई अनुमोदित होगी ।

(vii) केन्द्र और ईकाइयों के संबंध में साधारण प्रशासन और शिकायत प्रतितोष तंत्र."

(7) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 61 /2020/फा.स. 370149/154/2019-टी.पी.एल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी ।